विविध **बैंक प्रकरण संख्या 11/2022(GCMS : 2022/15) अडानी कैपीटल प्रा.लि. रजिस्टर्ड कार्यालय अडानी हाउस, 56 श्रीमाली सोसायटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद – 380009, गुजरात** एवं कॉरपोरेट कार्यालय प्रथम बीकेसी, सी–विंग, 1004/5, दसवां फ्लोर, बांद्रा कुरलां, कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (ईस्ट), मुम्बई–400051, महाराष्ट्र एवं शाखा कार्यालय एस 18–19, महिमा क्रिनीट मॉल, प्लॉट नम्बर 5, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर–302019 राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी मनीष पालीवाल **बनाम 1. निरंजन दास** पता वार्ड नम्बर 13, सुर्या शिक्षा स्कूल, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर – 335062 **(लीगल हायर ऑफ श्री कशिश कुमार ऋणी) 2. मनीषा बजाज पत्नी स्वर्गीय कशिश कुमार** पता वार्ड नम्बर 13, सुर्या शिक्षा स्कूल, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर–335062

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.04.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री मनीष भारद्वाज उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 22.12.2021 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण निरंजन दास (लीगल हायर ऑफ श्री कशिश कुमार ऋणी), मनीषा बजाज को ऋण सुविधा के रूप में 19.20/– लाख रूपये (अखरे रूपये उन्नीस लाख बीस हजार मात्र) का ऋण दिनांक 26.09.2019 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी स्व. कशिश कुमार द्वारा अपनी सम्पत्ति प्लॉट नं. 59, सेक्टर नं. 01, वार्ड नं. 11 सादुलशहर प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.05.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थीगण ऋणियों के नाम दिनांक 22.06.2021 को 24,[illegible] राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त [illegible] को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस [illegible] को उक्त बकाया [illegible] जमा करवाने के लिए जारी किया गया। उक्त धारा [illegible](2) के 60 दिवस [illegible] नोटिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है तथा दो समाचार पत्रों में प्रकाशन भी करवाया है। **इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी स्व. कशिश कुमार **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक** रखी गई सम्पत्ति प्लॉट नं. 59, सेक्टर नं. 01, वार्ड नं. 11 सादुलशहर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** निरंजन दास (लीगल हायर ऑफ श्री कशिश कुमार ऋणी), मनीषा बजाज को 19.20/— लाख रूपये (अखरे रूपये उन्नीस लाख बीस हजार मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 26.09.2019 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी स्व. कशिश कुमार **द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी** सम्पत्ति प्लॉट नं. 59, सेक्टर नं. 01, वार्ड नं. 11 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **31.05.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी स्व. कशिश कुमार (through it's Legal Heirs Mr. Niranjan Dass) एवं मनीषा बजाज (Legal Heir and Co-Borrower) को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 02.07.2021 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 03.07.2021 को भिजवाये गये है जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा **अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है। इसके अलावा उक्त धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन दो समाचार पत्रों दैनिक नव ज्योति एवं इण्डियन एक्सप्रैस में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशन करवाया है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी स्व. कशिश कुमार **की दृष्टि बंधक रखी गई** सम्पत्ति प्लॉट नं. 59, सेक्टर नं. 01, वार्ड नं. 11 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 02.07.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 02.07.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण निरंजन दास (लीगल हायर ऑफ स्व. कशिश कुमार पुत्र निरंजन दास), मनीषा बजाज पत्नी स्व. कशिश कुमार (लीगर हायर एवं ऋणी) को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 03.07.2021 भिजवाये गये है, धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की पोस्ट ऑफिस की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं **अप्रार्थी** निरंजन दास (लीगल हायर ऑफ स्व. कशिश कुमार पुत्र निरंजन दास), मनीषा बजाज पत्नी स्व. कशिश कुमार (लीगर हायर एवं ऋणी) **को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस की ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार** निरंजन दास (लीगल हायर ऑफ स्व. कशिश कुमार पुत्र निरंजन दास), मनीषा बजाज पत्नी स्व. कशिश कुमार (लीगर हायर एवं ऋणी) को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है। **अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अप्रार्थीगण के निवास पर बिना चस्पा किये धारा 13(2) के नोटिस पोस्ट ऑफिस की रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने के 13 दिन बाद ही दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशन करवाया है।

हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार की धारा 8 निम्नानुसार अवलोकनीय है :

> **पुरूष की दशा में उतराधिकारी के साधारण नियम : निर्वसीयत मरने वाले हिन्दु पुरूष की सम्पत्ति इस आधार पर उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगीः**
>
> **(क) प्रथमतः उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी है।**
>
> **(ख) द्वितीयतः , यदि वर्ग 1 में वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में विर्निदिष्ट सम्बन्धी है**
>
> ....

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार अनुसूची के वर्ग 1 में पिता उत्तराधिकारी की परिभाषा में नहीं आता है जबकि प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी स्व. कशिश कुमार के पिता को लीगल हायर (वारिस) बनाया है। **हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956** की धारा 8 के अनुसार अनुसूची के वर्ग 1 अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी माता, पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि उसके उत्तराधिकारी की श्रेणी में आते है। इस प्रकरण में मृतक स्व. कशिश कुमार की माता, पुत्र, पुत्री आदि जीवित है, नहीं बताया गया जबकि बैंक द्वारा [illegible] दस्तावेजों में मृतक स्व. कशिश कुमार की माता सरिता देवी के [illegible] प्रकरण में उत्तराधिकारी बनाया जाकर धारा 13(2) का नोटिस नहीं दिया गया है जबकि मृतक स्व. कशिश कुमार के समस्त उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक था।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

चूंकि ऋणी स्व. कशिश कुमार की माता भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी है जिसे भी धारा 13(2) का नोटिस दिया जाना आवश्यक था। **इस सम्बन्ध में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का प्रकरण संख्या डब्ल्यूपी नं. 27230/2009 अनवान् एस. सुहैना बानो वगै. बनाम इण्डियन बैंक, एआरएम ब्रांच वगै. निर्णय दिनांक 01.12.2010 अवलोकनीय** है। उक्त पैटीशन संख्या27230/2009 के निर्णय अनुसार मृतक ऋणी/गारंटर के वारिसान को धारा 13(2) का नोटिस उक्त नियम 2002 के नियम 3 के अनुसार ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। **नोटिस तामील के सम्बन्ध में वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 निम्नानुसार अवलोकनीय है:**

Demand Notice

(1) The service of demand notice as referred to in sub-section (2) of section 13 of the Ordinance shall be made by delivering or transmiting at the place where the borrower or his agent. empowered to accept the notice or documents on behalf of the borrower, actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, by registered post with acknowledgement due, addressed to the borrower or his agent empowered to accept the service or by Speed Post or by courier or by any other means of transmission of documents like fax message or electronic mail service:

PROVIDED that where authorised officer has reason to believe that **the borrower or his agent is avoiding the service of the notice or that for any other reason, the service cannot be made as aforesaid, the service shall be effected by affixing a copy of the demand notice on the the outer door or some other conspicuous part of the house or building in which the borrower or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain and by publishing the contents of the demand notice in two leading newspaper,** one in vernacular language, having sufficient circulation in that locality.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला रजिस्ट्रार
श्री गंगानगर

(2) Where the borrower is a body corporate the demand notice shall be served on the registered office or any of the brances of such body corporate as specified under sub rule(a)

(3) Any other notice in writing to be served on the borrower or his agent by authorised officer, shall be served in the same manner as provided in this rule.

(4) Where there are more than one borrower the demand noice shall be served on each borrower.

चूंकि प्रार्थीगण धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 02.07.2021 अप्रार्थीगण निरंजन दास (लीगल हायर ऑफ स्व. कशिश कुमार पुत्र निरंजन दास), मनीषा बजाज पत्नी स्व. कशिश कुमार (लीगर हायर एवं ऋणी) को जारी कर रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है तथा **अप्रार्थी ऋणी स्व. कशिश कुमार के समस्त उतराधिकारियों को पक्षकार नही बनाया गया है और न ही उन्हें धारा 13(2) का 60 दिवस का नोटिस जारी किया गया गया है** जो उक्त **THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 के RULE 3 के तहत मान्य नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी स्व. कशिश कुमार के समस्त उतराधिकारियों को पक्षकार न बनाकर एवं धारा 13(2) के नोटिस न जारी कर तामील के सम्बन्ध में अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारो की अवहेलना की है।**

माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीड ने 2012 Cr. l.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versues Arvind Kumar & Anr के पैरा–13 में भी निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:19 IST
Reason: SelfAttested

सिविल मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provis'ons. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see aslo : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and karnataka State Road Trasnport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अडानी केपिटल प्राईवेट लि. का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 में अप्रार्थी ऋणी के समस्त उत्तराधिकारियों को पक्षकार न बाये जाने के कारण और उक्त अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण पालना न होने के कारण, माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में दिये गये मार्गदर्शन को ध्यान रखते हुए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 **के प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रार्थी बैंक का** धारा 14 का प्रार्थना पत्र **स्वीकार नहीं किया जा सकता।** प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए धारा 13(2) के नोटिस सपठित नियम 3 की पालना करते हुए ऋणी की माता सरिता देवी सहित अन्य उतराधिकारियों को जारी कर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से करते हुए पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:19 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 01.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)